सूचना

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला

कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा चलाई जा रही प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईपलाईन तथा फव्वारा संयत्र पर अनुदान हेतू इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। किसान आवेदन पत्र स्वयं अथवा सम्बन्धित मण्डल भूमि संरक्षण अधिकारी/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/कृषि निरीक्षक/सप्लायर फर्म के माध्यम से दिनांक 31.12.2017 तक www.agriharyanaofwm.com पर भेज सकते हैं।

1) भूमिगत पाईपलाईन पर कुल लागत का 50 % अनुदान उपलब्ध होगा। अधिक्तम अनुदान 25,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से 60,000/- रूपये प्रति लाभार्थी होगा।
2) फव्वारा सयंत्र की कुल लागत पर प्रतिशत अनुदान निम्न प्रकार से होगाः

श्रेणी	अनुदान राशि		
	सामान्य श्रेणी	अनुसुचित श्रेणी	अधिक्तम अनुदान राशि
लघु एवं सीमान्त किसान	70 %	85 %	एच0डी0पी0ई0 फव्वारा संयत्र पर 18,000/-- रूपये तथा एलुमिनियम फव्वारा संयत्र पर 27,000/- रूपये।
बड़े किसान	60 %	75 %	

3) आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जाएगें।
4) अनुदान राशि "पहले आओ, पहले पाओ", जिले की वरिष्ठता सूची एवं उपलब्ध बजट के अनुसार दी जाएगी।
5) किसान भाई भूमिगत पाईपलाईन / फव्वारा सयंत्र विभाग द्वारा पंजीकृत किसी भी निर्माता/सप्लायर से खरीद सकते हैं तथा रेट ईत्यादि स्वंय तय कर सकते हैं।
6) किसान भाई आवेदन पत्र मे नाम, पिता का नाम इत्यादि बैंक पासबुक के अनुसार ही भरें।
7) यदि किसी किसान की जमीन एक से अधिक स्थान पर है और वह भूमिगत पाईपलाईन दबाना चाहता है तो वह एक ही आवेदन करे तथा अनुमान मे कुल पाईपों की संख्या / मैटीरियल का ईन्द्राज करे। एक किसान का केवल एक ही आवेदन मान्य होगा।
8) यदि किसी किसान की जमीन का संयुक्त खाता है तो उसको अपनी जमीन का हिस्सा जमाबन्दी रिकार्ड के अनुसार पटवारी से सत्यापित करवाना होगा।
9) यदि कोई नई फर्म हरियाणा मे भूमिगत पाईप लाईन / फव्वारा संयत्र आपूर्ति करने हेतु पंजीकृत होना चाहती है तो वह सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन www.agriharyanaofwm.com पर करते हुए एक प्रति निदेशक, कृषि एवं कल्याण विभाग, हरियाणा, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला को भेजे।
10) मार्गदर्शिका तथा पंजीकृत फर्मो की सूचि रेट सहित www.agriharyana.nic.in तथा www.agriharyanaofwm.com पर उपलब्ध है।

निदेशक
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग,
हरियाणा, पंचकुला